

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : - श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :- 06 / 2025

दायर तारीख 24.01.2025

अनवान

1. कमला बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि मांगीलाल जाति तेली उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0) हाल मुकाम मकान नं0 109 वार्ड नं0 28 खेड़ा भनगोता पोस्ट अथवा तहसील सिंगोली जिला नीमच (म0प्र0)

.....प्रार्थीयां

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... विपक्षी

उपस्थित :- श्री रामफूल धाकड़ - अधिवक्ता प्रार्थीयां।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक : 29 / 07 / 2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा की सरहद में स्थित खाता संख्या 147 खसरा संख्या 803 / 544 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीयां के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त खाता संख्या 147 में खातेदार प्रार्थीया भंवरी पुत्री भंवरलाल जाति तेली के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थीया का मूल नाम कमलाबाई समस्त पहचान दस्तावेज में दर्ज होकर वास्तविक नाम कमलाबाई है। जिसे राजस्व रेकार्ड में भंवरी पुत्री भंवरलाल के स्थान कमला बाई पुत्री भंवरलाल दुरुस्त किया जाना आवश्यक हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा की सरहद में स्थित खाता संख्या 147 खसरा संख्या 803/544 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल के स्थान कमला बाई पुत्री भंवरलाल दुरुस्त किये जाने का आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट ली गयी।

तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2025/637 दिनांक 23.04.2025 की रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा ग्राम गुढा स्थित खसरा संख्या 803/544 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में भंवरी पुत्री भंवरलाल तेली सा0 लाम्बाखोह के नाम पर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। परन्तु मौतविरान से जानकारी करने व प्रार्थीया के दस्तावेज का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल के बजाय कमला बाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मांगीलाल तेली हैं तथा प्रार्थीया का राजस्व रेकार्ड में नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल विरासत से जरिये नामा0 सं0 63 दिनांक 26.11.1981 से दर्ज हुआ जबकि सभी दस्तावेज में प्रार्थीया नाम कमलाबाई दर्ज हैं। प्रार्थीया का सही नाम कमलाबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मांगीलाल तेली हैं। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल के बजाय कमलाबाई पुत्री भंवरलाल दर्ज किया जाना उचित हैं। रिपोर्ट, मौका पर्चा की प्रतियां संलग्न की हैं।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा की नकल जमाबन्दी संवत 2076-2079 खसरा सं. 803/544, नकल जमाबन्दी संवत 2035-2038, नामान्तर संख्या 183/26.11.1981, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, आयुष्मान कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गुढा, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अथवा बज्म एवं प्रार्थना पत्र की प्रतियां संलग्न की हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर



3
उप सहायक/अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 03

अधिवक्ता प्रार्थीयां की एक पक्षीय बहस सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल के स्थान कमला बाई पुत्री भंवरलाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त कराना चाहा है।

अतः तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट, मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा की नकल जमाबन्दी संवत 2076-2079 खसरा सं. 803/544, नकल जमाबन्दी संवत 2035-2038, नामान्तर संख्या 183/26.11.1981, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, आयुष्मान कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गुढा, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अथवां बुजुर्ग एवं प्रार्थना पत्र की प्रतियों के आधार पर पर प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल के स्थान कमला बाई पुत्री भंवरलाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

—: आदेश :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा की सरहद में स्थित खाता संख्या 147 खसरा संख्या 803/544 रकबा 0.6880 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री भंवरलाल के स्थान कमला बाई पुत्री भंवरलाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



8
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

3
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा